न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 247/2016/223 आर टी ए

शेरबानो पत्नि बेततुल्ला पुत्र नाजमअली जाति मुसलमान निवासी ठुकराना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

––अपीलांटा

बनाम

1. नाजमअली पुत्र नूरदीन जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. उपपंजीयक हनुमानगढ़।
3. उपपंजीयक संगरिया।

––असल रेस्पो0

4. रजाक मोहम्मद पुत्र नाजमअली जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुामनगढ़।

–– तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 07.12.2015 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ प्र0सं0 117/14 अनवानी रजाक मोहम्मद आदि बनाम नाजमअली

उपस्थित :–

श्री रामस्वरूप नांदेवाल अधिवक्ता अपीलांटा

श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

निर्णय दिनांकः–23.08.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद वादपत्र रजाक मोहम्मद आदि बनाम नाजमअली आदि अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए का पेश किया गया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण मुस्लिम विधि से शासित है तथा मुस्लिम विधि मे सहदायिकी का सिद्धांत लागू नही होता है। मुस्लिम पर्सनल कानून के मुताबिक पिता के जीवनकाल मे पुत्रगण का पिता की पैतृक सम्पति मे जन्मतः अधिकार नही होता, इसलिये वाद विधितः वर्जित है। इस प्रार्थना पत्र का जवाब अपीलांट/वादीगण पेश कर कथन किया कि जब किसी मुस्लिम की सम्पति के संबंध मे वसीयत किये वगैर मृत्यु हो जाती है तब मृतक के समस्त वारिसान का मृतक की सम्पति पर हक व अधिकार होता है। उक्त कृषि भूमि पैतृक सम्पति है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी सं. 1/रेस्पो0 सं. 1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए वादीगण/अपीलांट का वादपत्र इसी स्तर पर खारिज

करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्टा ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि न्यायिक विधि के अनुसार मुस्लिम धर्म मे यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी संपदा के संबंध मे निर्वसीयत के रूप मे हो जाती है तो उनकी संपदा का प्रशासन सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा की जाती है यदि प्रशासक नियुक्त नही होता है तो निर्वसीयत की संपदा का समस्त उत्तराधिकारियों द्वारा अपने अपने सम्प्रदाए के अनुसार विभाजन कराया जाता है एवं विभाजन के लिए उत्तराधिकारी अपना अंश प्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। विवादित भूमि का प्रशासक नियुक्त नही किया हुआ है व अपीलांट मृतक की विधिक उत्तराधिकारिणी है। मुस्लिम विधि संहिताबंद्ध नही होने के कारण मुस्लिम विधि पूर्णतया न्यायिक विधो एवं लेखको के अपने अपने निजी विचारो पर आधारित है, इसलिये किसी के निजी विचारो के भावो मे प्रभावित होकर किसी के अधिकारो को प्रारम्भिक स्थिति पर बिना किसी वास्तविक स्थिति के सामने आने से पूर्व किसी के हक व अधिकारो से इन्कार करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत है जिसकी अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखी की है। अपीलांट की भुआओ को अपने पिता की सम्पति मे बराबर का हक मिला था एवं भुआओ ने अपने अपने हक व अधिकार को जरिये दस्तबरदारी त्याग किया गया था एवं अपीलांट के भाई रेस्पो0 स. 4 को रेस्पो0 सं. 1 ने अपने नाम की भूमि का कब्जा घरेलू बंटवारा मे ठुकराना की भूमि का दे रखा है। मुस्लिम विधि किसी प्रकार से संहिताबंद्ध नही है, इस कारण से यह कहना कि पिता के जीवनकाल मे अन्य वारिसान का किसी सम्पति मे हक व अधिकार नही होता, केवल इन आधारो पर किसी के हक व अधिकारो से वंचित करना उचित नही है।

4. हिन्दू पर्सनल विधि मे मात्र पैतृक सम्पति मे ही हक व अधिकार प्राप्त किया जाता है परन्तु मुस्लिम विधि मे यदि किसी व्यक्ति की स्वयं की पैदा की हुई सम्पति होती है तो उसमे भी अन्य वारिसान का हक व अधिकार होता है यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने बच्चो एवं पत्नि का भरणपोषण नही किया जाता है व उनके हक व अधिकारो से वंचित किया जाता है तो उसे मुस्लिम विधि द्वारा शासित नही माना जाता। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 सं. 1 के प्रार्थना पत्र मे दर्ज कि मुस्लिम विधि मे सहदायिकी का सिद्धांत लागू नही होता, को आधार मानकर अपीलांटा का वादपत्र खारिज किया गया है जबकि अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 का दावे मे सहदायिकी के तथ्य के संबंध मे किसी प्रकार के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दर्ज नही किये है एवं रेस्पो0 ने अपनी बहस मे स्पष्ट कर दिया गया कि यदि किसी मुस्लिम की मृत्यु निर्वसीयत के रूप मे हो जाती है तो मृतक की सम्पति का प्रशासक नियुक्त नही होने पर उनके उत्तराधिकारी उनकी संपदा मे अपने हक व अधिकारो के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। जो न्यायिक दृष्टिकोण से रोशन है। अतः अपील अपीलांटा स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किया जाकर वादपत्र डिक्री किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट का वादग्रस्त भूमि मे कोई हक व हिस्सा नही है रेस्पो0 सं. 1 को प्रश्नगत भूमि के संबंध मे वैद्य अन्तरणीय अधिकार हासिल है। अपीलांटा का मुस्लिम कानून के अनुसार प्रश्नगत भूमि मे जन्मतः हक व अधिकार नही है तथा वे कथित आधार पर प्रश्नगत भूमि मे बहिसा बराबर खातेदारी अधिकारो की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। क्योंकि मुस्लिम विधि के अनुसार मुस्लिम विधि मे जन्म से उत्तराधिकार का हक मान्य नही है तथा वारिस मृतक के मरने से पहले एक दिखावटी या अनुमानित वारिस नही हो सकता है और उस समय तक जब तक कि मुस्लिम मृत न हो उसका सम्पति मे कोई अधिकार नही होता है जो भी अधिकार प्राप्त होगा व मुस्लिम की मृत्यु के पश्चात ही होगा। न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1988 पेज 563 मे भी प्रतिपादित किया गया कि मुस्लिम विधि के अनुसार पिता के जीवनकाल मे पिता की सम्पति मे उसके पुत्रो का कोई हिस्सा व हक नही होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुस्लिम पर्सनल कानून के मुताबिक पिता के जीवनकाल मे पुत्रगण का पिता की पैतृक सम्पति मे जन्मतः अधिकार नही होना मानते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादपत्र अपीलांट/वादीगण खारिज किया गया है जो सही एवं विधिसम्मत है। अधिवक्ता रेस्पो0 अपनी बहस के समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1988 पेज 563 एवं मुस्लिम विधि मे उत्तराधिकार की विधि आदि प्रस्तुत किये। अतः अपील अपीलांटा खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपीलांट/रेस्पो0 सं. 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद वादपत्र रजाक मोहम्मद आदि बनाम नाजमअली आदि अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए का पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 1/रेस्पो0 सं. 1 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

पेश कर कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण मुस्लिम विधि से शासित है तथा मुस्लिम विधि मे सहदायिकी का सिद्धांत लागू नही होता है। मुस्लिम पर्सनल कानून के मुताबिक पिता के जीवनकाल मे पुत्रगण का पिता की पैतृक सम्पति मे जन्मतः अधिकार नही होता, इसलिये वाद विधितः वर्जित है। इस प्रार्थना पत्र का जवाब अपीलांट/वादीगण पेश कर कथन किया कि जब किसी मुस्लिम की सम्पति के संबंध मे वसीयत किये वगैर मृत्यु हो जाती है तब मृतक के समस्त वारिसान का मृतक की सम्पति पर हक व अधिकार होता है। उक्त कृषि भूमि पैतृक सम्पति है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी सं. 1/रेस्पो0 सं. 1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए वादीगण/अपीलांट का वादपत्र खारिज किया गया। जिसमे अपीलांटा का तर्क है कि ''हिन्दू पर्सनल विधि मे मात्र पैतृक सम्पति मे ही हक व अधिकार प्राप्त किया जाता है परन्तु मुस्लिम विधि मे यदि किसी व्यक्ति की स्वयं की पैदा की हुई सम्पति होती है तो उसमे भी अन्य वारिसान का हक व अधिकार होता है यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने बच्चो एवं पत्नि का भरणपोषण नही किया जाता है व उनके हक व अधिकारो से वंचित किया जाता है तो उसे मुस्लिम विधि द्वारा शासित नही माना जाता। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 सं. 1 के प्रार्थना पत्र मे दर्ज कि मुस्लिम विधि मे सहदायिकी का सिद्धांत लागू नही होता, को आधार मानकर अपीलांटा का वादपत्र खारिज किया गया है जबकि अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 का दावे मे सहदायिकी के तथ्य के संबंध मे किसी प्रकार के दर्ज नही किये है एवं रेस्पो0 ने अपनी बहस मे स्पष्ट कर दिया गया कि यदि किसी मुस्लिम की मृत्यु निर्वसीयत के रूप मे हो जाती है तो मृतक की सम्पति का प्रशासक नियुक्त नही होने पर उनके उत्तराधिकारी उनकी संपदा मे अपने हक व अधिकारो के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। जो न्यायिक दृष्टिकोण से रोशन है।'' इसके विपरीत रेस्पो0 सं. 1 का तर्क है कि ''मुस्लिम विधि के अनुसार मुस्लिम विधि मे जन्म से उत्तराधिकार का हक मान्य नही है तथा वारिस मृतक के मरने से पहले एक दिखावटी या अनुमानित वारिस नही हो सकता है और उस समय तक जब तक कि मुस्लिम मृत न हो उसका सम्पति मे कोई अधिकार नही होता है जो भी अधिकार प्राप्त होगा व मुस्लिम की मृत्यु के पश्चात ही होगा। न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1988 पेज 563 मे भी प्रतिपादित किया गया कि मुस्लिम विधि के अनुसार पिता के जीवनकाल मे पिता की सम्पति मे उसके पुत्रो का कोई हिस्सा व हक नही होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुस्लिम पर्सनल कानून के मुताबिक पिता के जीवनकाल मे पुत्रगण का पिता की पैतृक सम्पति मे जन्मतः अधिकार नही होना मानते

हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादपत्र अपीलांट/वादीगण खारिज किया गया है।''

7. अधीनस्थ न्यायालय की एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांटा द्वारा अपने पिता रेस्पो0 सं. 1 के विरूद्ध दावा प्रस्तुत कर घोषणा का अनुतोष चाहा गया। जबकि मुस्लिम विधि मे उत्तराधिकार की विधि के अनुसार मुस्लिम विधि चल एवं अचल सम्पति मे किसी भी प्रकार के अन्तर को स्वीकार नही करती है किसी मुस्लिम की मृत्यु के पश्चात चल व अचल सम्पति के उत्तराधिकार का कानून सामान्य कानू है। मुस्लिम विधि मे सम्पतियों का उत्तराधिकार प्राप्त होता है इस कारण पूर्वज की मृत्यु से पहले उत्तराधिकारियों का सम्पति मे कोई हित निहित नही होता उत्तराधिकार मृत्यु के पश्चात खुलता है और मृत्यु के पश्चात ही उत्तराधिकारियों मे सम्पति निहित होती है। मुस्लिम विधि मे जन्म से उत्तराधिकार का हक मान्य नही है तथा वारिस मृतक के मरने से पहले एक दिखावटी या अनुमानित वारिस नही हो सकता है और उस समय तक जब तक कि मुस्लिम मृत न हो उसका सम्पति मे कोई अधिकार नही होता है जो भी अधिकार प्राप्त होगा व मुस्लिम की मृत्यु के पश्चात ही होगा। न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1988 पेज 563 मे भी प्रतिपादित किया गया कि मुस्लिम विधि के अनुसार पिता के जीवनकाल मे पिता की सम्पति मे उसके पुत्रो का कोई हिस्सा व हक नही होता है। अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण मे चस्पा होते है। ऐसी स्थिति मे प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत एवं मुस्लिम विधि के अनुसरण मे अपील अपीलांटा स्वीकार किया जाना उचित नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

8. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांटा सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.12.2015 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0
अपील संख्या – 105/2014/223 आर टी ए

1. इमामबक्श पुत्र स्व. साहबदीन जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. सुबा सादक पुत्र स्व. साहबदीन जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. मंजूर मोहम्मद पुत्र स्व. साहबदीन जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. मसूल अहमद पुत्र स्व. गुलाम मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चक 6 एलएलडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. आसफ उर्फ आशिक मोहम्मद पुत्र स्व. गुलाम मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चक 6 एलएलडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. फजलदीन पुत्र स्व. फतेह मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चक 6 एलएलडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. मोहम्मद रमजान पुत्र स्व. फतेह मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चक 6 एलएलडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. मोहम्मर सराज पुत्र स्व. मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी चक 6 एलएलडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. मोहम्मद जब्बार पुत्र स्व. मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी चक 6 एलएलडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. अब्दुल सलाम पुत्र स्व. मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी चक 6 एलएलडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. हनीफां पत्नि स्व. खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. मंजूर मोहम्मद पुत्र स्व. खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
10. मुनीर खां पुत्र स्व. खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
11. श्रीमति मंजूरां पुत्री स्व. खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
12. श्रीमति हजूरां पुत्री स्व. खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
13. नूर हसन पुत्र स्व. उमरसदीक पुत्र स्व. खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

14. निक्का पुत्र स्व. उमरसदीक पुत्र स्व. खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
15. मनीराम पुत्र बीरबलराम जाति कुम्हार निवासी भूनांवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
16. भागवंती पत्नि पीरचंद जाति जाट निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
17. श्रीमति विम्मी सुथार पत्नि पवन कुमार सुथार जाति सुथार निवासी नई खुंजा हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
18. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा हनुमानगढ़ जरिये व्यवस्थापक।
19. श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड हनुमानगढ़ टाउन।
20. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

——— रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.12.2013 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ प्र0सं0 196/08 अनवानी विम्मी बनाम गुलाम मोहम्मद आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता अपीलांटस, श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1, 2, श्री बहादूरराम स्वामी अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 15, श्री सोहनलाल सहारण अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 16, श्री राजेन्द्र मोट्यार अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 17, श्री रमेश कुमार मोदी अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 18 एवं श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 20 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही होने के कारण अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.12.2013 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 19.02.2018 को जारी की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़